।।कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 1069 /12-1 दिनांक, पुरोला, 04-12-2019।

सेवामें,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रातयावर्तन। (FP/UK/ROAD/41387/2019)।

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा पत्र सख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/187/2019/एफ0सी0/1786 दिनांक 08.11.2019 से दर्ज आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र सं0 से दर्ज आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है:—

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	Administaative approval, muck disposal plan and CA site suitability certificate are not found uploaded. State Govt.may upload the aforesaid documents in online portal.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, मलवा निस्तान्तरण, क्षतिपूरक क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गये है।
2	3 CA schemes found uploaded/ submitted for amount R.S 1,36,62,000/-(plantation of 12520 teees). for amount of R.S. 32,38,159/-(strip plantation) and for R.S. 25,28,049/- (plantation of 18144 trees). State Govt may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	रू0 1,36,62,000/-1242 काटे जाने वाले वृक्षों के बदले 10 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण योजना, रू0 32,38,159/-मोटर मार्ग के किनारे रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण योजना, रू0 25,28,049/- क्षतिपूरक वन भूमि के सापेक्ष दोगुने अवनत क्षेत्रफल में वृक्षा रोपण योजना हेतु प्रस्तावित धनराशि है।
3	Alterative alignment uploaded/submitted at para-D(ii) (a) seems sketchy State Gove. may explore the alternate alignment to reduce the number of trees.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है— Para-D(ii) (a) में वैकल्पिक मार्ग नीले कलर से प्रदर्शित है। मार्ग में 4.7250 है भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.20 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.525 है0) एवं 1380 वृक्ष प्रभावित है जबकि प्रस्तावित मार्ग (लाल कलर) में केवल 4.536 है0 (आरक्षित भूमि 4.032 है0 सिविल सोयम 0.5040 है0) एवं 1242 वृक्ष प्रभावित है।
4	State Govermment may submit/upload the DFO,s SIR again after incorporating comments against point 5.3 & 5.4.	आपत्ति का निराकरण कर ऑफलाइन तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	In para-A-2(i) of part-1, name of user Agency is mentioned as PMGSY instead of Rural Development Department (Gramya Vikas Vibhag). State Govt. may provide correct information of the agency at para-A-2(i).	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा para-A-2(i) of part-1 से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर दी है।
6	In para-B-2-4 of part-I the non forest land required for muck disposal is mentioed as 0-381 ha whereas the area of 7 no. of muck disposal yards shown in the muck disposal plan comes to 0-873 ha. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है— para-B-2-4 of part-I मलवा निस्तान्तरण के लिए निजी नाप भूमि 0.381 है0 में अर्जित किया जाना है। मलवा निस्तारण योजना में 07 डम्पिंग स्थान हेतु कुल 0.873 है0 =(0.381 है0 +0.492 है0) निजी नाप भूमि) प्रदर्शित है। जिसका मुख्य कारण 0.381 के अतिरिक्त शेष 0.492 है0 आवश्यकता पड़ने पर युक्त योजना पूर्ण रूप से अमल में लाने के लिए बनायी गई है।

7	Note containing justfication for locating the project in forest land uploaded at para-D(i) of part-I is not satisfactory State Govermment may again submit note containg justification for locating for project in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा para-D(i) of part-I में justfication for locating the project in forest land हेतु सही अभिलेख पूर्व में ही अपलोड कर दिये गये है।
8	In para-8(v) of part-II, 'No' has been mentioned regarding rare/endangered/ unique species of flora and fauna found in the area nut it is mentioned in para-5-4 of the Site Inspection Report of DFO that Leopard, Himalayan Bear & Rich Avian Diversity is found in the area which is contradictory. State Govt. may clarify and submit/upload the correct information.	आपत्ति का निराकरण कर ऑफलाइन तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
9	It is seen form the administrative approval that the unconnected target habitation and habitation to be connected is Syalukd village anly (point 26 as per digital map) but the road has been proposed unto Dokhariyani village which does't appear to be justified State Govt. may clarify and submit/uploaded the correct information	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है– प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्यालुका को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना है जो डोखरियानी होते स्यालुका तक स्वीकृति है के क्रम में वैकल्पिक मार्ग समरेखण हेतु प्रस्तावित था। जिसमें 4. 7250 है0 भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.20 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.525 है0) एवं 1380 वृक्ष प्रभावित है जिस कारण संयुक्त निरीक्षण में केवल 4.536 है (आरक्षित भूमि 4.032 है0 सिविल सोयम 0.5040 है0) एवं 1242 वृक्ष प्रभावित है को सहमति प्रदान की गई साथ ही प्राथमिक विद्यालय एवं सेब के बगीचे आदि के कारण डोखरियानी में स्यालुका की लगभग 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है। जिस कारण मोटर मार्ग को डोखरियानी तक ले जाना आवश्यक है।
10	For CA the Civil soya, land of chamrota village has been identified but the name of CA site is mentioned as Civil Soyam land of syaluka village in the CA site suitability certificate provided in a hard copy. state Govt. may do the need ful in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि जो छमरोटा सिविल में है से सम्बन्धित उपयुक्तता का प्रमाण प्रत्र अपलोड कर दिये है।
11	It is seen from the details given in the muck disposal plan that the width of road has been taken as 4.00 mtr for calculation of muck likely to be generated which has further been halved whereas the ROW has been taken as 7.00 mtr in forest land and 9.00 mtr in the map land State Govt. may clarify the discropancy and submit/upload the correct information.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है– मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत रिर्जव फोरेस्ट में कुल 6.00 मी0 चौडाई हेतु 4.00 मी0 कटिंग + 2.00 मी0 में फिलिंग कर दीवार निर्माण किया जाना है एवं निजी नाप भूमि में 9.00 मी0 मार्ग की चौडाई ली जायेगी। जिसमें 6.00 मी0 यातायात एवं 3.00 मी0 मलवा निस्तान्तरण कार्य किया जाना है।
12	Working plan prescriptions have not been given in para-5 of part-II State Govt. could have mentioned the name of working circle of the previous WP or the draft remised WP.	मोटर मार्ग निर्माण में जो कक्ष प्रभावित हो रहे है वे अवसायी कार्य योजना में ओक संवर्धन कार्यवृत के अन्तर्गत है।
13	Brief note on vlnerability of forest area to erosion has not been given at para-6 of para-II State Govt. may submit/ upload the brief note on vulnerability at para-6 of.	प्रस्तावित निर्माण कार्य होने से किसी भी प्रकार के भू–क्षरण होने की सम्भावना नहीं है।
14	State Govermment may remove the above shortcomings and submit the hard copy of the above mentioned noints.	सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)
E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com
Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 1297/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०/ दिनांक 30/ 11/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
इन्दिरा नगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषयः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा पत्र संख्या 8बी./यू०सी०पी०/06/187/2019/एफ०सी०/1786 दिनांक 08.11.2019 द्वारा गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/41387/2019).**

महोदय,

उक्त विषयक मोटर मार्ग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण निम्न है।

क्र० स०	आपत्ति	निराकरण
1	Administrative approval, muck disposal plan and CA site suitability certificate are not found uploaded. State Govt. may upload the aforesaid documents in online portal.	प्रशासनिक स्वीकृति, मलवा निस्तान्तरण, क्षतिपूरक क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये है।
2	3 CA schemes found uploaded/ submitted for amount Rs. 1,36,62,000/-(plantation of 12520 teees). for amount of Rs. 32,38,159/- (strip plantation) and for Rs. 25,28,049/- (plantation of 18144 trees). State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	रू० 1,36,62,000/- 1242 काटे जाने वाले वृक्षो के बदले 10 गुना वृक्षो का वृक्षारोपण योजना, रू० 32,38,159/- मोटर मार्ग के किनारे रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण योजना, रू० 25,28,049 /- क्षतिपूरक वनभूमि के सापेक्ष दोगुने अवनत क्षेत्रफल में वृक्षा रोपण योजना हेतु प्रस्तावित धनराशि है।
3	Alterative alignment uploaded/submitted at para-D(ii) (a) seems sketchy. State Gove. may explore the alternate alignment to reduce the number of trees.	Para-D(ii) (a) में वैकल्पिक मार्ग नीले कलर से प्रदर्शित है। मार्ग में 4.7250 है० भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.20 है० एवं सिविल सोयम भूमि 0.525 है०) एवं 1380 वृक्ष प्रभावित है जबकि प्रस्तावित मार्ग (लाल कलर) में केवल 4.536 है० (आरक्षित भूमि 4.032 है० सिविल सोयम 0.5040 है०) एवं 1242 वृक्ष प्रभावित है।
4	State Government may submit/upload the DFO,s SIR again after incorporating comments against point 5.3 & 5.4.	डी०एफ०ओ० पुरोला से सम्बन्धित है।
5	In para-A-2(i) of Part-1, name of User Agency is mentioned as PMGSY instead of Rural Development Department (Gramya Vikas Vibhag). State Govt. may provide correct information of the user agency at para-A-2(i).	Para-A-2(i) of Part-1 से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर दी है।
6	In para-B-2.4 of Part-I, the non forest land required for muck disposal is mentioned as 0-381ha whereas the area of 7 no. of mck disposal yards shown in the muck disposal plan comes to 0-873 ha. State Govt. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	Para-B-2.4 of Part-I मलवा निस्तान्तरण के लिए निजी नाप भूमि 0.381 है० में अर्जित किया जाना है। मलवा निस्तारण योजना में 07 डम्पिंग स्थान हेतु कुल 0.873 है० =(0.381 है०+0.492 है०) निजी नाप भूमि) प्रदर्शित है। जिसका मुख्य कारण 0.381 के अतिरिक्त शेष 0.492 है० आवश्यकता पड़ने पर युक्त योजना पूर्ण रूप से अमल में लाने के लिए बनायी गई है।
7	Note containing justification for locating the project in forest land uploaded at para-D(i) of Part-I is not satisfactory. State Govermment may again submit note containing justification for locating the project in this regard.	Para-D(i) of Part-I में justification for locating the project in forest land हेतु सही अभिलेख पूर्व में ही अपलोड कर दिये गये है।
8	In para-8(v) of Part-II, 'NO' has been mentioned regarding rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area but it is mentioned in para-5.4 of the Site Inspection Report of DFO that Leopard, Himalayan Bear & Rich Avian Diversity is found in the area which is contradictory. State Govt. may clarify and submit/upload the correct information.	डी०एफ०ओ० पुरोला से सम्बन्धित है।

9	It is seen from the administrative approval that the unconnected target habitation adn habitation to be connected is Syaluka village only (Point 26 as per digital map) but the road has been proposed upto Dokhariyani village which doesn't appear to be justified. State Govt. may clarify and submit/upload the correct information.	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्यालुका को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना है जो डोखरियानी होते स्यालुका तक स्वीकृत है के क्रम में वैकल्पिक मार्ग समरेखण हेतु प्रस्तावित था। जिसमें 4.7250 है0 भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.20 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.525 है0) एवं 1380 वृक्ष प्रभावित है जिस कारण वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तावित मार्ग (लाल कलर) में केवल 4.536 है0 (आरक्षित भूमि 4.032 है0 सिविल सोयम 0.5040 है0) एवं 1242 वृक्ष प्रभावित है को सहमति प्रदान की गई साथ ही प्राथमिक विद्यालय एवं सेब के बगीचे आदि के कारण डोखरियानी में स्यालुका की लगभग 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है, जिस कारण मोटर मार्ग को डोखरियानी तक ले जाना आवश्यक है।
10	For CA, the Civil Soyam land of Chamrota village has been identified but the name of CA site is mentioned as Civil Soyam land of Syaluka village in the CA site suitability certificate provided in a hard copy. State Govt. may do the need ful in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षा रोपण भूमि जो चमरोटा गांव में है से सम्बन्धित उपयुक्तता का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये है।
11	It is seen from the details given in the muck disposal plan that the width of road has been taken as 4.00 mtr for calculation of muck likely to be generated which has further been halved whereas the ROW has been taken as 7.00 mtr in forest land and 9.00 mtr in the nap land. State Govc. may clarify the discrepancy and submit/upload the correct information.	मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत रिर्जव फोरेस्ट में कुल 6.00 मी0 चौड़ाई हेतु 4.00 मी0 कटिंग + 2.00 मी0 में फिलिंग कर दीवार निर्माण किया जाना है एवं निजी नाप भूमि में 9.00 मी0 मार्ग की चौड़ाई ली जायेगी। जिसमें 6.00 मी0 यातायात एवं 3.00 मी0 मलवा निस्तान्तरण कार्य किया जाना है।
12	Working plan prescriptions have not been given in para-5 of Part-II. State Govt. could have mentioned the name of working circle of the previous WP or the draft remised WP.	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
13	Brief note on vlnerability of forest area to erosion has not been given at para-6 of Part- II. State Govt. may submit/upload the brief note on vulnerability at para-6 of	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
14	State Govermment may remove the above shortcomings and submit the hard copy of the above mentioned noints.	सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक 1297/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला /तदिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
2. सन्नी गोयल तकनीकी अधिकारी (वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

D/man
कृ0 डाक वहाँ करें

D.F.O
8/11/19